| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28-1-26 | पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी की तलबी बाजरिये डिलेवरी की गई सामान्य पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित वास्ते आदेश तलबी पत्रावली दिनांक 5-2-26 को पेश हो। | |
| 5-2-26 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण की बावजूद सूचना के अनु. होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई वास्ते बहस पत्रावली आगामी दिनांक 18-2-26 को पेश हो। | |
| 18-2-26 | पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस पक्षकार नहीं करवाये जाने का अनुरोध चाहा गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसिल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>लाखेरी (बून्दी) | |

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

55/प्रा0पत्र/2025
दायरा दिनांक 02.06.2025

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. हेमलता पुत्री छोटूलाल पत्नी जम्बू कुमार जैन जाति महाजन निवासी रोटेदा जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. देवेन्द्र आ0 शिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. मनोज आ0 शिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. सुनील आ0 शिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. प्रेमबाई पत्नि शिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
5. लटूर आ0 रामकरण जाति कंडेरा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6. अणदीलाल आ0 रामरूप जाति ब्राम्हण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
7. किशनचन्द्र आ0 रामरूप जाति ब्राम्हण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
8. मोरध्वज आ0 रामरूप जाति ब्राम्हण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
9. मोतिया बाई पत्नी मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
10. रामरतन आ0 मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
11. शम्भूदयाल आ0 मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
12. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 18.02.2026

## निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 431 रकबा 1.19 हैक्टर, ख0सं0 432 रकबा 0.09 हैक्टर, ख0सं0 433 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 3 योग रकबा 1.54 हैक्टर वाके ग्राम कोटा खुर्द पटवार हल्का गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप लगवा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1443/440, 1442/440 है व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 4 की खसरा संख्या 1440/439 है व अप्रार्थी संख्या 5 की कृषि भूमि खसरा संख्या 417 है एंव अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 की कृषि भूमि 428, 430, 434 है व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 की खसरा संख्या 442/2, 443/2 कृषि भूमि है व खसरा संख्या 418 सरकारी भूमि है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 की भूमियां जो वाके ग्राम कोटाखुर्द पटवार हल्का गुहाटा में स्थित है जिसके कारण प्रार्थी की कृषि भूमि चारो ओर से दबी हुई है जिसके कारण आस--पास के पडौसी खातेदारो द्वारा प्रार्थिया की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थिया की कुछ भूमि सिकुडी हुई है। जितनी कृषि भूमि प्रार्थिया के खाते मे है उतनी कृषि भूमि मौके पर नही है। और अन्त मे प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदार कृषि भूमि के पडौसी खातेदारान प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अतिकमण कर सीमाओं को मिटाना चाहते है। भविष्य में सीमांकन के संबन्ध में कोई विवाद उत्पन्न न हो, प्रार्थीया के कब्जे काश्त की कृषि भूमि सुरक्षित रहे इस बाबत प्रार्थिया सीमांकन कराया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिए जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने एंव कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नही किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया प्रार्थीया ने अपनी कृषि भूमि की सीमाओ के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन न हो एंव कृषि भूमि एंव उसका रकबा सुरक्षित कब्जे काश्त रहे इस बाबत प्रार्थीया सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। भविष्य में किसी प्रकार का सीमांकन संबंधी विवाद उत्पन होने की संभावनाओं को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956 की धारा111,128 के तहत स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा संख्या 431 रकबा 1.19 हैक्टर, ख0सं0 432 रकबा 0.09 हैक्टर, ख0सं0 433 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 3 योग रकबा 1.54 हैक्टर वाके ग्राम कोटा खुर्द पटवार हल्का गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि की उभयपक्षकारो को तलब कर उनकी उपस्थिति में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर मौके पर बन्दोबस्त नक्शानुसार सीमाए चिन्हित कर पत्थरगढी करवाई जावें। तथा आराजी का सीमाकंन एंव पत्थरगढी करवाई जाने वाले व्यय को प्रार्थीया कृषक खातेदार द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner